

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन, 53, बहादुर सिंह काम्प्लेक्स,
द्वितीय तल, गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 018 / 10, 22.02.2010
दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन, 53, बहादुर सिंह काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ द्वारा दिनांक 22.02.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा “ Paper Pin ” पर कर की दर जाननी चाही गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 06.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि Paper Pin एक ऐसी वस्तु है जो fastener की भाँति कार्य करती है । इसलिए Paper Pin को भी उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II के क्रमांक-87 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार 4% की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-4872, दिनांक 31.03.2010 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि वस्तुओं की कार्य प्रणाली अथवा प्रकार के एक जैसे होने को उनकी करदेयता का आधार नहीं माना जा सकता । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए अथवा बी में Paper Pin के नाम से कोई वस्तु अंकित नहीं की गई है । इसलिए Paper Pin को इस शेड्यूल से आच्छादित न मानते हुए 4% की वस्तु नहीं माना जा सकता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया कि प्रश्नकर्ता उत्तर प्रदेश के स्टेशनरी व्यवसायों का महासंगठन है । इनके द्वारा कोई व्यापारिक गतिविधि संचालित नहीं की जाती है और न ही ये किसी प्रकार से पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर हैं अतः उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत person or dealer concerned न होने के कारण अधिनियम के अन्तर्गत वे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में विहित प्राविधानों से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकता है जब तक वह पंजीकृत या अपंजीकृत रूप से व्यापारिक गतिविधि न

सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन / प्रा0 पत्र सं0-018 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-2

कर रहा हो। प्रार्थी सर्वश्री स्टेशनरी विक्रेता एवं निर्माता एसोसियेशन, 53, बहादुर सिंह काम्प्लेक्स, द्वितीय तल, गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ द्वारा स्वयं कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जा रही है और न ही वह पंजीकृत अथवा अपंजीकृत रूप से वाणिज्य कर विभाग के अभिलेख पर है। ऐसी स्थिति में वह person or dealer concerned नहीं है। अतः उक्त एसोसियेशन प्रश्न पूछने के लिए पात्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 फरवरी, 2014

ह0 / 12.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।